



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228913
CG-DL-E-11082021-228913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2988]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943

No. 2988]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SRAVANA 20, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2021

का.आ. 3219(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है जिसका लक्ष्य छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, और स्व-नियोजित व्यक्तियों को उनकी वृद्धावस्था में संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पेंशन उपलब्ध कराना है;

और, इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम और सामान्य सेवा केन्द्रों – विशेष प्रयोजना वाहन (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है;

और, इस योजना का लक्ष्य विद्यमान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य रूप से छोटे दुकानदारों या खुदरा व्यापारियों, स्व-नियोजित व्यक्तियों, छोटे चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिकों, आटा-चक्की मालिकों, कर्मशाला या गैराज मालिकों, कमीशन एजेंटों, रियल एस्टेट ब्रोकरों, छोटे रेस्तरां मालिकों, आदि (जिन्हें इसमें इसके पश्चात एक साथ हिताधिकारियों कहा गया है) जैसे व्यक्तियों को पेंशन सहायता उपलब्ध कराना है;

और, इस योजना के अंतर्गत, हिताधिकारियों को साठ वर्ष की आयु पूरी होने के बाद तीन हजार रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन दी जाती है;

और, केन्द्रीय सरकार इस योजना के प्रयोजनार्थ, असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के परामर्श से, जहां अपेक्षित हो, प्रशासित की जाने वाली एक पेंशन निधि स्थापित करेगी, और केन्द्रीय सरकार पेंशन निधि में पात्र अभिदाता द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के समान राशि (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) का अंशदान भी देगी;

और, योजना में भारत की संचित निधि से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्-

1. (1) योजना के अधीन लाभ लेने का इच्छुक प्रत्येक पात्र व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन कराए:

(2) योजना के अधीन फायदा लेने का इच्छुक प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, उसे योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) से संपर्क कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से मंत्रालय हिताधिकारियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नहीं हुए हैं, उनके आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं हो तो कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से विभाग यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:

परन्तु योजना के अधीन किसी व्यक्ति को आधार सौंप दिए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्याधीन फायदे दिए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) यदि वह नामांकित हो गया हो, तो उसके पास उपलब्ध आधार नामांकन प्रमाणीकरण की पर्ची: और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक; या

(ii) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी)

(iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iv) पासपोर्ट; या

(v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार या किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र; या

(x) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त दस्तावेज को इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. योजना के अधीन हिताधिकारियों को फायदा प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिससे योजना के अधीन आधार की अपेक्षाओं के प्रति हिताधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात:-

(क) खराब फिंगरप्रिंट के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, आईरिस स्कैनर्स या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगी जिससे निर्बाध रीति से फायदा प्राप्त हो सके;

(ख) फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन या आईरिस या चेहरा अधिप्रमाणन के सफल न होने की दशा में, जहां कहीं साक्ष्य और ग्राह्य हो, वहां, यथास्थिति, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमीट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन- टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है वहां योजना के अधीन लाभों को भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पांस कोड रीडर का आवश्यक प्रबंध अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा;

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अधीन कोई सदभावी हिताधिकारी अपने देय फायदों से वंचित न रहे, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष फायदा हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी 26011/04/2017-डीबीटी (<https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद संचालन क्रियाविधि का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एल-11011/07/2019-आरडब्ल्यू]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2021

S.O. 3219(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Labour and Employment (*hereinafter referred to as the Ministry*) in the Government of India is administering the **Central Sector Scheme namely, the National Pension Scheme for Traders, Shopkeepers and Self- Employed Persons, 2019** (*hereinafter referred to as the Scheme*) which aims at providing pension to the small traders, shopkeepers, and self-employed persons to ensure their old age protection;

And whereas, the Scheme is implemented through the Life Insurance Corporation of India and Common Service Centres – Special Purpose Vehicle (*hereinafter referred to as the Implementing Agencies*);

And whereas, the Scheme aims at providing pension support to the persons who are primarily small shopkeepers or retail traders, self-employed persons, small rice mill owners, oil mill owners, *atta chakki* owners, workshop or garage owners, commission agents, brokers of real estate, owners of small restaurants, etc. (*hereinafter together referred to as the beneficiaries*), as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, under the Scheme, a minimum monthly assured pension of three thousand rupees per month is given to the beneficiaries after attaining the age of sixty years;

And whereas, the Central Government shall for the purposes of this Scheme, establish a Pension Fund to be administered in consultation, wherever required, with the National Social Security Board for Unorganised Workers, and the Central Government shall also contribute to the Pension Fund the equal amount (*hereinafter referred to as the benefits*) as contributed by an eligible subscriber;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for an Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
- (3) As per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case, there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identity Document slip; and
- (b) any one of the following documents, namely:-
 - (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or
 - (ii) Electoral Photo Identity Card (EPIC) issued by the Election Commission of India; or
 - (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
 - (iv) Passport; or
 - (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (vi) Ration Card; or
 - (vii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Card; or
 - (viii) Kisan Photo Passbook; or
 - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
 - (x) any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry through its Implementing Agencies, shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its Implementing Agencies shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefit in seamless manner;
 - (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
 - (c) in all other cases, where biometric or One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agencies.
4. In order to ensure that no *bona fide* beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry through its Implementing Agencies shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on <https://dbtbharat.gov.in/>).
5. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territory Administrations.

[F. No. L-11011/07/2019-RW]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.